Session Case No. 51/2025
<u>शासन विरूद्ध गणेश्वर कमार</u>

Witness No. 10 **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken on--- 28.07.2026---- Day of -**मंगलवार**-- Witness's apparent age-- 48-- States on affirmation -**शपथपूर्वक**- My name is ... **डॉ. अभिषेक लॉज** ... S/of — **श्री दीपक लॉज**------Occupation — **हड्डी रोग विशेषज्ञ**----
Address ---**एकता अस्पताल धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)**

साक्ष्य प्रारंभ समय 12:00 पी.एम.

- मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री गुलाब भारती अपर लोक अभियोजक वास्ते शासनः-

01. मैं वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक एकता अस्पताल धमतरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूं।

02. पदस्थापना के दौरान दिनांक 19.05.2025 को थाना मगरलोड के अपराध क्र. 72/2025 धारा 109 बीएनएस के प्रकरण में आहत अनिल कुमार कमार का ईलाज संबंधी दस्तावेज बेडहेड टिकिट प्रदाय करने बाबत थाना मगरलोड से पत्र प्राप्त होने पर मेरे द्वारा ईलाज संबंधी दस्तावेज बेडहेड टिकिट की सत्यापित प्रति थाना मगरलोड को प्रेषित की थी, जो **प्रपी 18** है जो दो पन्नों में है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. दिनांक 11.07.2025 को थाना मगरलोड के अपराध क्र. 72/2025 धारा 109 बीएनएस के प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों का क्यूरी कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदाय करने के संबंध में थाना मगरलोड से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मेरे द्वारा निम्न क्यूरी रिपोर्ट तैयार किया गया था । आरक्षक क्र. 603 गजानंद साहू द्वारा लायी गई 07 सामग्री 01. एक तीर

जिसकी लंबाई 92 सेमी जिसमें आगे लोहे की धारदार नोक जो कि लोहे की थी उसकी लंबाई 15 सेमी थी जिसमें खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था, जिसे सीलबंद कर एफएसएल जांच हेतु भेजने की सलाह दी गई थी । 02. एक हल्के नीले रंग की हॉफ टीशर्ट जिसमें FAI Forword Sport FIT M38 लिखा था, जिसमें खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था । 03. एक नीले रंग का बरमुड़ा हाफ पैंटपेट जिसमें Goofy Sport M Size था, जिसमें खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था । 04. एक सफेद गुलाबी रंग का गमछा जिसकी लंबाई 177 सेमी X 72 सेमी थी, जिसमें खून जैसा दाग धब्बा लगा हुआ था । 05. एक बांस का बना हुआ धनुष जिसकी लंबाई 145 सेमी थी और उसके दोनों छोर में रस्सी लगा हुआ था । 06. एक गुलाबी फूल टीशर्ट जिसमें ESTD 1991 Youth Series MCZON, जिसमें खून जैसा दाग धब्बा नहीं लगा हुआ था । 07. एक गहरे हरे रंग का फूटपैंट जिसमें बहुत सी जेबें थी, जिसमें खून जैसा दाग धब्बा नहीं लगा हुआ था । उक्त सभी सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु सीलबंद कर साथ आये आरक्षक को सौंप दिया गया था ।

04. क्यूरी रिपोर्ट के साथ साथ थाना मगरलोड पुलिस के द्वारा निम्न प्रश्न भी पूछे गये थे-

1. क्या उपरोक्त जप्तशुदा प्रदर्श आहत के पहने कपड़े टीशर्ट बरमुड़ा एवं गमछा में लगा खून जैसा दाग धब्बा मानव रक्त है ?

उत्तर- उक्त जप्तशुदा प्रदर्शो में लगे खून जैसे दाग धब्बे मानव है की नहीं, बिना रासायनिक परीक्षण के नहीं बताया जा सकता ।

2. क्या जप्तशुदा तीर से आहत अनिल कुमार कमार को आई चोट आ सकती है व

उसकी मृत्यु हो सकती थी क्या ?

उत्तर– हां, उक्त चोट आ सकती है तथा उक्त चोटों से मृत्यु नहीं हो सकती है ।

3. क्या धनुष एवं बांस की पट्टी(रस्सी) में लगे दाग धब्बे मानव रक्त है ?

उत्तर– उक्त धनुष व बांस की पट्टी में लगे खून जैसे दाग धब्बे मानव है की नहीं, बिना रासायनिक परीक्षण के नहीं बताया जा सकता ।

4. अन्य कोई तथ्य जो विवेचना में सहायक सिद्ध हो सके ?

उत्तर– बेडहेड टिकिट एवं ईलाज हेतु दस्तावेज संलग्न है ।

05. मेरे द्वारा किया गया क्यूरी एवं मुलाहिजा रिपोर्ट **प्रपी 19** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी.डी. साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त –

06. यह कहना सही है कि घटनास्थल में व्यक्तियों का भीड़ हो व आपस में किसी भी बात को लेकर धक्का मुक्की हो तो आई आहत की भीड़ में किसी व्यक्ति द्वारा धक्का दिये जाने से बांया पंजा के भार किसी लोहे की नुकीली वाले औजार में गिरने से आहत को आई चोटें आ सकती है तथा उनके पहने वस्त्र हाफ पैंट बरमुड़ा शर्ट एवं वहां पर रखे हुए बांस का बना हुआ धनुष व पास में रखे हुए तीर में खून का धब्बा लग सकता है ।

07. यह कहना सही है कि प्रपी 18 का रिपोर्ट में भर्ती एवं डिस्चार्ज का उल्लेख है एवं 19 में जप्तशुदा वस्तुओं को थाना मगरलोड द्वारा सीलबंद कर लाने का उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि जप्तशुदा वस्तुओं केो मेरे द्वारा कोई रासायनिक जांच नहीं किया

है, मैंने रासायनिक प्रयोगशाला रायपुर उचित जांच हेतु ले जाने की सलाह दिया था ।

साक्ष्य समाप्ति समय 12:30 PM

साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया। उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–	सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)	(राधेश्याम ध्रुव)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के
अतिरिक्त न्यायाधीश कुरूद,	अतिरिक्त न्यायाधीश कुरूद,
जिला– धमतरी (छ.ग.)	जिला– धमतरी (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर

"The foregiong deposition was taken in the presence of the accused who had an opportunity of cross- examining the wintness. The deposition was explained to the accused and was attested by me in his presence".

सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के
अतिरिक्त न्यायाधीश कुरूद,
जिला– धमतरी (छ.ग.)